झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–59/2020

गोपाल तिर्या उर्फ गोपाल तिरिया .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः मो0 जैद अहमद, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः श्रीमती नेहाला शर्मिन, ए0पी0पी0।

2/17.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, परसुडीह थाना काण्ड संख्या 139 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि सेंट्रल जेल, घाघडीह के कैदियों के बीच एक खुलेआम लड़ाई हुई थी और एक मनोज कुमार सिंह की मृत्यु हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कई आरोपी व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा बी0ए0 संख्या 9597 वर्ष 2019, 8532 वर्ष 2019 एवं 10292 वर्ष 2019 में जमानत प्रदान किया गया है। आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति का है और याचिकाकर्त्ता 06.07.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित अभियुक्त को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान ए0सी0जे0एम0, जमशेदपुर के संतुष्टि पर परसुडीह थाना काण्ड संख्या 139 वर्ष 2019 के सम्बन्ध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)